राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/ 10376 जयपुर दिनांकः 26/4/17

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा–105, 325 तथा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की उपविधियों में लाईसेंस फीस सम्बन्धी प्रावधान विभागीय आदेश क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/ डीएलबी/16/1680 दिनांक 31.01.17 द्वारा वार्षिक लाईसेंस फीस निर्धारित की गई थी, में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 337 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

1. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट संख्या 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

   "लाईसेंस समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाईसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में लाईसेंस फीस की राशि का प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत शास्ती के रूप में वसूल की जायेगी। "

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट में नवीन संख्या 7 को निम्नानुसार जोडा जाता हैः–

   "विभागीय आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 2015 जिसमें नगरीय निकायों द्वारा होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिये जो लाईसेंस एक वर्ष की अवधि के लिये जारी किये जाते है उन समस्त लाईसेंसों की वैधता अवधि नियमानुसार 10 वर्ष का शुल्क वसूल करते हुए 10 वर्ष की अवधि के लिये जारी करने की स्वीकृति दी गई है। अतएव 10 वर्ष का वार्षिक लाईसेंस फीस एकमुश्त नवीनीकरण कराने वाले होटल/रेस्टोरेंट व्यवसायियों को शुल्क में 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।"

3. विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट में नवीन संख्या 8 को निम्नानुसार जोडा जाता हैः–

   "आदेश दिनांक 31.01.17 में अंकित लाईसेंस फीस तालिका के क्रमांक 12 से 19 तक में नमकीन के कारखाने एवं मिठाई के कारखाने, चाट–पकौडी, गैस युक्त शीतल पेय, आइस्क्रीम, मिनरल वाटर फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल को लाईसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इन विषयों पर स्थानीय निकाय यदि इन गतिविधियों से लाईसेंस फीस वसूल करना चाहती है तो पहले इन गतिविधियों के संबंध में उपविधियां, विधिक प्रावधान अनुसार स्वीकृत करावे और तत्पश्चात ही लाईसेंस वसूली का प्रावधान स्थानीय निकाय अपने स्तर पर उपविधि अनुसार करें।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\QAYAM\15.Order.doc

Scanned by CamScanner

क्रमांकः प.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/16/10377-10841 दिनांकः 26/4/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मे उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु।
7. समस्त अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय एवं उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
8. सी.एम.ए.आर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\15.Order.doc

Scanned by CamScanner